न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – अवधेश मीना आई.ए.एस.
राजस्व प्रकरण संख्या–01/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटस
1. श्रीमति फाऊ देवी पत्नी जीवाराम, दर्जी वगैरा, निवासी आलवाडा, तहसील धानेरा, बनासकांठा, गुजरात हाल जुंजाणी 2. श्रीमती संतोष देवी पत्नी पारसमलजी दर्जी, नि. जुंजाणी		1. मृतक हीरादेवी बेवा केसा के कायम मुकाम– 1/1. बदा गोद पुत्र केसा दर्जी, निवासी दांतीवास 2. ग्राम पंचायत पुनासा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत पुनासा

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पुनासा म्युटेशन संख्या 1453 दिनांक 20.05.1986

निर्णय दिनांक:17.12.2019

उक्त अपील अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पुनासा नामान्तरणकरण संख्या 1453 दिनांक 20.05.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जो न्यायालय हाजा के समक्ष लंबित है। उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्सा 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 55 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत उक्त नामान्तरणकरण की कार्यवाही को नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित रखने का प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त नामान्तरण करण राज्य सरकार के राजस्व अभियान मजमे आम में दिनांक 20.05.1986 को स्वीकृत किया गया है। जो सर्व पंचायत व आम जनता की उपस्थिति में स्वीकृत हुआ है। तथा लंम्बी अवधी के बाद पेश किया है। तथा जो म्याद बाहर है। इसी नामान्तरणकरण मे वर्णित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा में एक वाद खातेदारी हक का इन्ही पक्षकारों द्वारा पेश किया है, जो वाद संख्या 11/2019 है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबध में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1990 व पुराने खसरा नंबर 1598, 1769, 1774 के संबंध में दावा बाबत खातेदारी हक का चल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को वाद के अंतिक निर्णय तक अपील में कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में नामान्तरणकरण की समरी प्रोसिडिंग को स्थगित की जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस करनी चाही जाने पर दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बारे में हवाला देते हुए यह कहा कि उक्त नामान्तरणकरण में वर्णित

Scanned by CamScanner

भूमि के संबंध में एक वाद खातेदारी हक का इन्ही पक्षकारों के मध्य वाद संख्या 11/2019 न्यायालय हाजा के समक्ष लंबित है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को वाद के अंतिम निर्णय तक अपील में कार्यवाही को स्थगित किया जावें। बहस के दौरान न्याय दृष्टांत आरआरटी 2003 (2) बाबुलाल बनाम अब्दुल गनी पृष्ठ 887 प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस में उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व तमाम रिकॉर्डेड खातेदारों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। केसा की मृत्यु के समय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम प्रभाव में आ जाने से केसा की मृत्यु के साथ ही 1/3 हिस्सा प्रत्येक अपीलांट का कुल 2/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में नियत हो चुका था, 1/3 हिस्सा माता हिरा देवी का नियत हो चुका था परंतु ग्राम पंचायत द्वारा मात्र हिरा देवी का एकमात्र वारिशान रेस्पोडेंट संख्या 1 को मानते हुए जैर अपील स्वीकृत किया हैं। इसलिए उक्त अपील की कार्यवाही को स्थगित नही किया जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन कर प्रकरण का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वाद में वादग्रस्त आराजी एवं वर्तमान वाद में वादग्रस्त आराजी एक ही है। वाद एवं प्रार्थना पत्र में कॉज ऑफ एक्शन भी समान है। वादग्रस्त आराजी में सम्मिलित पार्टी भी समान ही है। अतएवं न्यायालय द्वारा मूल वाद व प्रार्थना पत्र को सम्मिलित करना उचित प्रतीत होता है। एवं प्रार्थना पत्र को मूल वाद में नत्थी किया जाना उचित होगा। मूल वाद में दस्तावेजी एव साक्ष्य प्रमाण के बाद निर्णय होगा, जो इस प्रार्थना पत्र पर भी लागू होगा।

अतः रेस्पोडेंट संख्या 1/1 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उक्त अपील से संबंधित कार्यवाही को वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner